



113

न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

138R/अगरानी/धार/श्रक/2017/3574

कैलाश पिता रामाजी जाति भीलाला

निवासी ग्राम छोटा जामनिया तह. व जिला धार

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. भारतसिंह पिता रामाजी जाति भीलाला
निवासी नासिक जिला नासिक (महाराष्ट्र)
2. दारासिंह पिता रामाजी जाति भीलाला
3. राजेश पिता कालूसिंग जाति भीलाला
4. धनकुंवरबाई पिता कालूसिंग जाति भीलाला
5. कोमल पिता कालूसिंग जाति भीलाला
6. मंजु पिता कालूसिंग जाति भीलाला
7. कमलाबाई बेवा कालूसिंग जाति भीलाला
8. विक्रमसिंह पिता लक्ष्मणसिंग जाति भीलाला
9. हेमलता पिता लक्ष्मणसिंग जाति भीलाला
10. जितेन्द्र पिता हरिसिंह जाति भीलाला
11. जिनेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति भीलाला
12. समोतीबाई बेवा हरिसिंह जाति भीलाला
निवासी छोटा जामनिया तह. व जिला धार
13. श्रीमती बसंतीबाई पिता रामाजी पति मोहन सिंह जाति भीलाला
निवासी सोडपुर तह. व जिला धार
14. लीलाबाई पिता रामाजी पति बांदूसिंह जाति भीलाला
निवासी ग्राम पिपल्या कमिन तह. धरमपुरी जिला धार

.....विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

(श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) क्षेत्र धार जिला धार की अपील क्रमांक 129/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत है)

[Handwritten signature]

.....
दिनांक 28-9-17 को

प्रस्तुत
[Signature]
राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर



[Signature]
28/9/17

CF-3-10-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भू.रा./2017/3574 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-10-2018	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मन्द्र चतुर्वेदी तथा अनावेदक क्र. 1 की ओर से श्री संतोष बाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अधिवक्ता उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण की सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।</p> <p> सी३२</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	